



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032021-225596
CG-DL-E-02032021-225596

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942

No. 74]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

मामला सं.-एडी-एसएसआर 27/2020

विषय : चीन जन.गण.के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बेरियम कार्बोनेट के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत के संबंध में।

फा. सं. 7/46/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975(जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या ए डी नियम भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से मेसर्स अमरावती केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स प्रा. लि.; मेसर्स कडप्पा बेरियम साल्ट; मेसर्स राहुल बेरियम केमिकल्स प्रा. लिमिटेड और मेसर्स श्री पवन केमिकल्स एंड मिनरल्स (जिन्हें यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “बेरियम कार्बोनेट” (जिन्हें यहां “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के विस्तार और वृद्धि हेतु निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत के लिए का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने यह दावा किया है कि यदि मौजूदा शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने की संभावना है।
3. अधिनियम की धारा 9क (5) की शर्तों में, लागू पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले समाप्त न कर दिया जाए, ऐसे लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा करना जरूरी है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है। इसके अनुसरण में, प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग या उसकी ओर से किए गए विधिवत अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा किया जाना जरूरी है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।
4. आवेदकों ने याचिका में संगत सूचना उपलब्ध कराई है। याचिका की सूचना के पर्याप्तता और पाटन के साक्ष्य तथा जांच की शुरुआत को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए परिणामी क्षति की जांच की गई है। चूंकि, याचिका विधिवत प्रलेखित है और यदि विद्यमान शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो याचिका में पाटन और क्षति की संभावना के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य शामिल हैं, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

पिछली पाटनरोधी शुल्क जांच की पृष्ठभूमि

5. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16 जून, 2009 को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई थी। तत्पश्चात्, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम सं. 14/18/2009-डीजीएडी दिनांक 10 दिसंबर, 2010 के अनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश की थी जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं. 6/2011-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार क्रियान्वित किया गया था। प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की जांच अधिसूचना सं. 15/27/2014-डीजीएडी दिनांक 19 मार्च, 2015 से की और परिणाम सं. 15/27/2014-डीजीएडी दिनांक 23 फरवरी, 2016 के अनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश की थी जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 14/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार क्रियान्वित किया गया था। उक्त शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किए गए थे और ये 20 अप्रैल, 2021 को समाप्त होंगे।

विचाराधीन उत्पाद

6. मूल जांच तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद “बेरियम कार्बोनेट” है। जैसा मूल जांच में परिभाषित है, बेरियम कार्बोनेट सफेद पावडर और दानेदार रूप में एक अकार्बनिक रसायन है, जिसका रासायनिक सूत्र बीएसओ2 है जिसे बेराइट, एक खनिज उत्पाद से विनिर्मित किया जाता है। बेरियम कार्बोनेट को रोटरी फर्नेस में कार्बन कम करके उत्पादित किया जाता है जो बेराइट को बेरियम सल्फाइड में बदलता है। इसे ब्लैक ऐश के रूप में जाना जाता है। बेरियम सल्फाइड को जल में घुलशील जल बेरियम सल्फाइड निकालने के लिए गर्म जल के प्रयोग से ब्लीचड किया जाता है जिसे बाद में बेरियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए सोडा ऐश के साथ उपचारित किया जाता है। बेरियम कार्बोनेट का प्रयोग कॉस्टिक सोडा उद्योग में ब्राइन विलियन के शुद्धिकरण में होता है। इसका प्रयोग हार्ड फैराइट रिंग मेग्नेट, टेलिविजन ग्लास सैल, न्यूट्रन ग्लौस, लैम्प, हीट ट्रीटमेंट सॉल्ट और अन्य बेरियम सॉल्ट के उत्पादन में भी होता है। वर्तमान आवेदन मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के निर्णायक समीक्षा से संबंधित है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के समान ही रहना चाहिए।

7. उत्पाद को अधिनियम के अध्याय 28 में शीर्ष 28366000 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान आवेदन और प्रस्तावित पुनरीक्षा जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

8. आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद की घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। यह कहा गया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है। आवेदकों ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और व्यापारिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के ‘समान वस्तु’ माना गया है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह आवेदन मै. अमरावती कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स प्रा. लि.; मै. कडापा बेरियम सॉल्ट्स; मै. राहुल बेरियम कैमिकल्स प्रा.लि. और मै. श्री पवन कैमिकल्स एंड मिनरल्स द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने दावा किया है कि ये संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में किसी आयातक से पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं। प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदकों का प्रथमदृष्टया उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके मद्देनजर, प्रथमदृष्टया निष्कर्ष है कि आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

संबद्ध देश

10. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (जिसे आगे पीओआई भी कहा गया है) 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (18 महीने) की है। जांच की अवधि 12 महीने की सामान्य अवधि के स्थान पर 18 महीने ली गई है क्योंकि पीओआई जांच की शुरुआत की तारीख से 6 महीने के भीतर है। क्षति जांच अवधि में जांच की अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 की अवधियां शामिल होंगी। प्राधिकारी आवेदकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के पीओआई पश्चात 6 महीनों के आंकड़ों की जांच भी करेंगे कि क्या वर्तमान एडीडी शुल्कों को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने संभावना है।

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदकों ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद के उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदकों ने यह बताया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागतें और कीमत सूचना बाजार चालित हैं तो सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने वर्तमान जांच के लिए उचित बाजार वाले तीसरे देश रूस के आधार पर तर्कसंगत लाभ जोड़कर चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का दावा किया है। तदनुसार, जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत

13. आवेदक ने डी जी सी आई एंड एस से संग्रहित सूचना के आधार पर आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद संबद्ध आयातों की निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्ययों अंतरदेशीय भाड़ा और वैट रिफंड के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

14. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 9 क(1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक भी है।

क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

15. इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होने की संभावना है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

16. आवेदकों के विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतत् द्वारा

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और यह जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति को जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

प्रक्रिया

17. इस समीक्षा में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करने वाली परिणाम सं. 14/18/2009-डीजीएडी दिनांक 10 दिसंबर, 2010 के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी यथा अनिवार्य पाटन और क्षति का संभावित विश्लेषण भी करेंगे।

18. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in , तथा dd18-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

20. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

23. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in , तथा dd18-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना तथा अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा जब उसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिया गया था। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION – NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

Case No.- AD-SSR 27/2020

Subject: Initiation of Sunset Review investigation concerning imports of Barium Carbonate originating in or exported from China PR-reg.

F. No. 7/46/2020-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules or AD Rules), M/s Amaravathi Chemicals and Fertilizers Pvt. Ltd.; M/s Kadapa Barium Salts; M/s Rahul Barium Chemicals Pvt. Ltd. and M/s Shree Pavan Chemicals & Minerals (hereinafter referred to as the “applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) for initiation of sunset review investigation for extension of anti-dumping duty on imports of Barium Carbonate (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. The applicants have alleged that there is a likelihood of continuation of dumping of the subject goods originating and exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry if the existing duty is allowed to expire.

3. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. The applicants have provided relevant information in the petition. The petition has been examined for sufficiency of information and evidence of dumping and consequent injury to justify initiation of investigation. Since the petition is duly documented and contains sufficient prima facie evidence of likelihood of dumping and injury if the existing duty is allowed to expire, the Authority initiates the sunset review investigation of the anti-dumping duty already imposed on the imports of the subject goods originating and exported from the subject country.

Background of previous anti-dumping duty investigation

5. An anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated on 16th June, 2009 by the Authority. Thereafter, vide Final Findings No. 14/18/2009-DGAD dated 10th December, 2010, the Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country, which were implemented by the Central Government vide Notification No. 6/2011-Customs dated 07th February, 2011. The Authority initiated sunset review investigation vide Initiation Notification No. 15/27/2014-DGAD dated 19th March, 2015 and vide Final Findings Notification No. 15/27/2014-DGAD dated 23rd February, 2016, the Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country, which were implemented by the Central Government vide Notification No. 14/2016-Customs (ADD) dated 21st April, 2016. The said duties were levied for a period of 5 years and are set to expire on 20th April, 2021.

Product under Consideration

6. The product under consideration in the original investigation as well as the present sunset review investigation is "Barium Carbonate". As defined in the original investigation, Barium Carbonate is an inorganic chemical in the form of a white powder and granules having chemical formula BaCO₂ manufactured out of Barytes, a mineral product. Barium Carbonate is produced by reducing carbon in rotary furnace which converts barytes to Barium Sulphide known as black ash, Barium Sulphide is bleached using hot water to extract water soluble water barium sulphide which is then treated with soda ash to obtain Barium Carbonate. Barium Carbonate is used for purification of brine solution in caustic soda industry. It is also used in production of hard Ferrite Ring Magnets, Television Glass Shell, Neutral gloss, Lamps, Heat treatment salts and other barium salts. The present application being concerned with sunset review of existing anti-dumping duty, the scope of the product under consideration should remain the same as the scope of the product under consideration in the original investigation.

7. The product is classified under Chapter 28 of the Act in heading No. 28366000. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present application and the proposed review investigation.

Like Article

8. The applicants have claimed that there are no known differences in the subject goods produced by domestic industry and that exported from the subject country. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the applicants and those exported from the subject country. The applicants claim that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of the proposed investigation, the subject goods produced by the applicants is being treated by the Authority as 'like article' to the subject goods being originating in or exported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

9. The Application has been filed by M/s Amaravathi Chemicals and Fertilizers Pvt. Ltd.; M/s Kadapa Barium Salts; M/s Rahul Barium Chemicals Pvt. Ltd. and M/s Shree Pavan Chemicals & Minerals. The

Applicants have claimed that they are not related to an exporter or producer of the subject goods in the subject country or an importer in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules. The Authority has noted that prima facie production by the applicants constitutes “a major proportion” of the total Indian production. In view of the same, it is prima facie concluded that the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3), and the applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

Subject Country

10. The subject country involved in the present sunset review investigation is China PR.

Period of Investigation

11. The Period of Investigation (hereinafter also referred to as “POI”) in the present investigation is 1st April, 2019 to 30th September, 2020 (18 Months). The period of investigation is taken as 18 months instead of normal period of 12 months so that the POI is within 6 months from the date of initiation. For the purpose of analysing injury, the data of previous three years, i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19 and the period of investigation will be considered. The Authority may also examine the post POI data of 6 months of the applicants and other interested parties to examine whether the expiry of existing ADD duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

Normal Value for China PR

12. The Applicants have cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The Applicants have claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been submitted by the Applicants that in case the responding Chinese producers are not able demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules. The Applicants have claimed normal value in China PR on the basis of appropriate market third country Russia with reasonable return for the present investigation. The normal value for China PR has been determined accordingly for the purpose of initiation.

Export Price for China PR

13. Export price of the subject imports has been determined by considering volume and value of imports based on the DGCI&S. Price adjustments have been made on account of Ocean freight, Marine insurance, Commission, Bank charges, Port expenses, Inland freight and VAT refund.

Dumping Margin

14. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Act. It is noted that the dumping margin is not only above de-minimis level but also significant.

Likelihood of continuation or recurrence of injury

15. There is prima facie evidence that dumping and injury to the domestic industry are likely in the event of cessation of anti-dumping duty.

Initiation of Sunset Review Investigation

16. On the basis of the duly substantiated application of the applicants, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Procedure

17. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 14/18/2009-DGAD dated 10th December, 2010, recommending imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods from subject country. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

18. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtyr@gov.in , adv11-dgtr@gov.in , jd12-dgtr@gov.in and dd18-dgtr@gov.in

20. The known producers/exporters in the subject country, its governments through its embassy in India, the importers and users in India known to be connected with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set below.

21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within in the time limit set out below.

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.

Time Limit

23. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtyr@gov.in , adv11-dgtr@gov.in , jd12-dgtr@gov.in and dd18-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per rule 6 (4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to be have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto) before the Authority, including questionnaire response, are required to file confidential and Non-Confidential versions separately.

27. The “Confidential” or “Non-confidential” submissions must be clearly marked as “Confidential” or “Non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be a liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

33. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

34. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority